



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 03/2010/परीक्षा/दिनांक 27/08/2010

प्रकाशन की तिथि 01/09/2010

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30/09/2010

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के **खनिज साधन विभाग** के अंतर्गत **“खनि निरीक्षक”** के रिक्त पदों, जिनका विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है, के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद		योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पद - खनि निरीक्षक विभाग - खनिज साधन विभाग	16	05	07	04	05	01	02	01	-	03 02 (अना.) 01 (अ.ज.जा.)	32
योग :-		16	05	07	04	05	01	02	01	-	03	32

नोट :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- रिक्तियों में आरक्षण :-
 - उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदकों हेतु आरक्षित हैं।
 - छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के आवेदकों के अतिरिक्त अन्य सभी आवेदकों के तथा प्रदेश के बाहर के आवेदकों के आवेदन अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे।
- (2)- पद का विवरण एवं वेतनमान :-**
 - पद का नाम :- **खनि निरीक्षक**
 - सेवा श्रेणी :- **अराजपत्रित-तृतीय श्रेणी कार्यपालिक**
 - वेतनमान रूपये :- **5200-20200+ग्रेड पे-2800/-**
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
 - परिवीक्षा अवधि :- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- (3)- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं शारीरिक मापदण्ड-**
 - शैक्षणिक अर्हताएं:-** भू-विज्ञान विषय लेकर विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।
 - शारीरिक मापदण्ड :-** पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं, महिला अभ्यर्थी के लिये ऊंचाई 152 से.मी. से कम नहीं। सीने का न्यूनतम माप 81 से.मी. (सामान्य स्थिति में) 85 से.मी. (फुलाने पर)।

महत्वपूर्ण नोट:- उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की शैक्षणिक अर्हतायें मान्य नहीं होंगी। आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र आयोग को भेजने के बाद उन्हें आवेदन पत्र की कमी-पूर्ति/आवेदन पत्र में संशोधन करने का कोई अवसर आयोग द्वारा नहीं दिया जाएगा।

(4)- निर्धारित आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2011 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चतर आयु सीमा में दी गई छूट:-
 - यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। इस कड़िका के तहत छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर आयु में छूट संबंधी अन्य कड़िकाओं के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
 - ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:-“छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी

सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- 4.1.4 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- 4.1.5 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- 4.1.6 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-1-2-/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- 4.1.7 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4.1.8 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- 4.1.9 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 4.1.10 आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 4.1.11 राज्य में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:- (1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे - छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय - समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं

होगी।

महत्वपूर्ण टीप:- (2) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2011 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) आवेदन-पत्र भरने के संबंध में "निर्देश/जानकारी":-

आवेदन-पत्र दो प्रपत्रों में सन्निहित है :-

- 5.1 प्रपत्र (एक) - आवेदन पत्र।
- 5.2 प्रपत्र (दो) - आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, यथा- भू-विज्ञान विषय लेकर विज्ञान में स्नातक/माइनिंग इंजीनियरिंग की अंक सूची, उपाधि, जाति प्रमाण पत्र, यदि आयु सीमा में छूट चाही गई है तो जिन प्रावधानों के तहत अभ्यर्थी आयु में छूट प्राप्त करना चाहता है उससे संबंधित सुसंगत प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज आदि की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र-दो में करना है। जिस क्रम से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे उसी क्रम से उन दस्तावेजों के ऊपर की ओर दाहिने कोने में पृष्ठ क्रमांक अंकित करना है, वही पृष्ठ क्रमांक इस प्रपत्र में भी भरे जाएंगे।
- 5.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 5.4 अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 5.5 आवेदन-पत्र का प्रपत्र एक एवं दो सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवार जो उक्त श्रेणी में आरक्षण क्लेम करते हुए आवेदन कर रहे हों, तो उन्हें शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना है। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रपत्र में दिया गया जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(6)- आवेदन शुल्क :-

- 6.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए उनके द्वारा जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी (जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर भी आते हैं एवं जो जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण प्राप्त न करना चाहें) के लिए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।
- 6.2 आवेदक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से परीक्षा शुल्क का डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्र. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर में देय हो, बनवाकर भेजेगा। डी.डी. के पीछे आवेदक अपना नाम, पता एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। रायपुर शहर के आवेदकों से बैंक ड्रॉपट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा, रायपुर शहर के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का बैंकर्स चेक मान्य नहीं होगा।
- 6.3 छ.ग. राज्य के आरक्षित श्रेणी के आवेदक निर्धारित आवेदन

शुल्क रु. 300/- (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के आवेदक रु. 400/- (रुपये चार सौ) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें अन्यथा आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।

(7)– आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना :-

- 7.1 आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर द्वारा प्रकाशित "रोजगार और नियोजन" में इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र–एक एवं प्रपत्र–दो में मूलरूप में प्रयोग कर अथवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सुस्पष्ट रूप में भरा जाना चाहिए। टंकित एवं हस्त लिखित आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- 7.2 जो आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7.3 आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट (www.psc.cg.gov.in) से भी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर ए-4 साईज पेपर में ही प्राप्त करें, अन्य पेपर साईज में डाउनलोड कर भरे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- 7.4 आवेदन–पत्र भेजने का पता :-
सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ0ग0)
पिन कोड – 492001.

टीपः–आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क भी नहीं लौटाये जाएंगे।

(8.1) आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

(8.2) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्राथमिक (अनंतिम) जांच के आधार पर उम्मीदवारों को प्रावधिक रूप से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन आवेदकों का साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन किया जाएगा, के आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी। उक्त संवीक्षा के आधार पर जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए सूचना दी जाएगी, के अतिरिक्त शेष आवेदकों को आयोग द्वारा सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(9)– आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजें। इनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा।

9.1 आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

9.2 विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

9.3 भू–विज्ञान विषय लेकर विज्ञान में स्नातक अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि का प्रमाण पत्र।

9.4 जाति प्रमाण पत्र :-

9.4.1 यदि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में राज्य शासन के प्राधिकृत अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

9.4.2 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को राज्य विभाजन के पूर्व बने हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का पुनर्वैधीकरण कराना अनिवार्य है अर्थात् ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण–पत्र पुनः बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।

9.4.3 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला आवेदकों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

9.4.4 यदि आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र (जो आवेदन करने की तिथि को वैध हो) के आधार पर आवेदन पत्र में जानकारी भरता है तो उक्त आधार पर आवेदक को लिखित परीक्षा में शामिल होने की प्रावधिक अनुमति दी जाएगी परंतु ऐसे आवेदक को साक्षात्कार में बुलाने पर उसे साक्षात्कार के समय छत्तीसगढ़ राज्य के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदक को अनर्ह करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

9.4.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है तथा सामान्यतया आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिये मान्य होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व का है उन्हें जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि के 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

9.5 भूतपूर्व सैनिक होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आवश्यक प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करें।

9.6 यदि निर्धारित उच्चतर आय सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-

- 9.6.1 तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 9.6.2 विज्ञापन की कंडिका - 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, एवं 4.1.7 के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- 9.6.3 विज्ञापन की कंडिका- 4.1.8 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- 9.6.4 विज्ञापन की कंडिका- 4.1.9 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।
- 9.6.5 विज्ञापन की कंडिका- 4.1.10 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- 9.6.6 विज्ञापन की कंडिका-4.1.11 के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- 9.7 आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

टीपः-उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए जो आवेदन की ग्राह्यता पर विचार/निर्णय हेतु अनिवार्य है। उक्त दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा।

(10)-नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

- 10.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे अपने आवेदन-पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु आयोग को आवेदन भेजने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- 10.2 यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- 10.3 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(11)-आपराधिक अभियोजन :-

11.1 ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

- जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो, या
- किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
 - आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
 - उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
 - आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
 - यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

 - अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 - अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(12)-पहचान चिन्ह :-

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही

अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। लिखने के लिए केवल काली स्याही का प्रयोग करें। उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

(13)—अभ्यर्थियों की अर्हता के निर्धारण हेतु आवेदन पत्रों की संवीक्षा :- अभ्यर्थियों की अर्हता के निर्धारण हेतु आवेदन पत्रों की संवीक्षा के लिए निम्नानुसार क्रम निर्धारित है:-

1. प्रारंभिक/प्रथम दृष्टया संवीक्षा
2. विस्तृत संवीक्षा

13.1 प्रारंभिक संवीक्षा (प्रथम दृष्टया) :- इस क्रम में (At this stage) आयोग द्वारा सरसरी तौर पर केवल यह देखा जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र के सभी रिक्त स्थान भरे हैं अथवा नहीं तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक अर्हता के संबंध में दस्तावेज/प्रमाण पत्र एवं निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न किये हैं अथवा नहीं। इस स्टेज पर आवेदन पत्र के सभी कॉलम की पूर्ति न किये जाने/आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर न होने/फोटोग्राफ न होने/अपूर्ण भरे हुए या बिना भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने/निर्धारित समय सीमा के बाद की तिथि में आवेदन पत्र प्राप्त होने/आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न न होने आदि के आधार पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं होने के स्पष्ट आधार पाए जाने पर निरस्त किये जाने तथा शेष अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को प्रावधिक स्वीकार किए जाने के बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

13.2 लिखित परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या सीमित किये जाने के लिए समस्त आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा संभव न हो तो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण/गलत पाए गए आवेदन पत्र यथा-आवेदन पर हस्ताक्षर न होना/आवेदन विलंब से प्राप्त होना/बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होना/फोटो संलग्न न होना/घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होना आदि कारणों से निरस्त करते हुए यथासंभव शेष अभ्यर्थियों को प्रावधिक रूप से परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रवेश पत्र भेजे जायेंगे, जिसका आशय यह कदापि नहीं है कि संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है।

2. विस्तृत संवीक्षा :- लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने हेतु उनकी संख्या सीमित किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारण हेतु आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी, एवं उक्त संवीक्षा के आधार पर अर्ह पाए गए अथवा प्रावधिक रूप से चिन्हांकित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचना पत्र भेजे जायेंगे।

2.1 यदि किसी अभ्यर्थी को प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व आयोग

द्वारा चाहे गए दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अथवा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के बारे में आयोग को स्थिति स्पष्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जाएगा।

13.3 आयोग को यह अधिकार है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने/प्रस्तुत अभिलेखों में विसंगति पाये जाने/न्यूनतम आवश्यक अर्हतायें नहीं पाए जाने पर चयन के प्रक्रम के किसी भी स्टेज पर अर्थात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने से लेकर आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थी की चयन सूची तैयार करने एवं इसे शासन के संबंधित विभाग की ओर अनुशंसित कर भेजने के पूर्व आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त कर सकता है।

13.4 आयोग द्वारा चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् भी यदि आयोग के संज्ञान में उपरोक्तानुसार तथ्य आता है, तो भी आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा कभी भी निरस्त की जा सकती है।

13.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग के द्वारा चयन सूची के साथ नियोक्ता अधिकारी को भेजे गए अभिलेख के शासन स्तर पर परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थी को अनर्ह पाया जाता है तो राज्य शासन के संबंधित विभाग आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने अथवा यदि नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं तो ऐसे नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने का निर्णय ले सकता है।

13.6 उपरोक्तानुसार की जाने वाली/की गई कार्यवाही अभ्यर्थी के द्वारा दी गई असत्य/अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर होती है, अतएव इसके लिए आयोग/शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त भी आयोग के द्वारा की गई सद्भावनापूर्वक कार्यवाही अथवा मानवीय चूक से त्रुटि परिलक्षित हो तो इस प्रकार सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही/चूक के लिए आयोग के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं होगा।

(14)—चयन प्रक्रिया :-

14.1 आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, लिखित परीक्षा के उपरान्त उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर मेरिटक्रम के आधार पर किया जाएगा।

14.2 लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

(15)—लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना :-

15.1 लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की सूचना डाक से आयोग द्वारा पर्याप्त समय पूर्व अभ्यर्थी को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की जानकारी आयोग की वेब-साईट www.psc.cg.gov.in पर भी दी जाती है। अतएव यदि किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो अभ्यर्थी स्वयं आयोग कार्यालय से संपर्क कर अथवा आयोग की वेब-साईट से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

15.2 अभ्यर्थी को भेजे गए प्रवेश पत्र/सूचना पत्र से संबंधित डाक अभ्यर्थी को समय पर प्राप्त न होने अथवा विलंब से डाक प्राप्त होने के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप :- 1. आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किये जाएंगे।

महत्वपूर्ण टीप :- 2. अभ्यर्थी आयोग को लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न-पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(16)–यात्रा व्यय का भुगतान :-

16.1 छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

16.2 साक्षात्कार के लिये – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 16.1 में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(17)–आवेदन पत्र एवं अन्य बातें :-

17.1 एक अभ्यर्थी से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी से एक से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जाएंगे।

17.2 संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय क्रमांक, यथा – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।

(18)–आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देश:-

18.1 अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं। फोटो पर आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

18.2 स्वयं का पता लिखे दो लिफाफे (12c.m.X 25c.m.) अवश्य भेजें। आवेदन-पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक 6/-रूपये का डाक टिकट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें। जिस पर उन्हें आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जाएगी।

18.3 आवेदन-पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम" बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन-

पत्रों की Sorting संभव नहीं हो पाता। अतएव यदि लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं पद का विवरण न देने से आवेदन पत्र प्रोसेस करने में चूक हो तो आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं पदनाम लिखा जाना केवल आवेदन पत्रों की Sorting के लिए है, परन्तु चयन की प्रक्रिया में आवेदकों के मूल आवेदन पत्र के इन्द्राज ही अर्हता निर्धारण हेतु विचार में लिए जाते हैं। अतः अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि आवेदन पत्र के सभी आवश्यक खाने ठीक ढंग से भरे गए हैं।

(19)–भरे हुए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर कार्यालय में अंतिम तिथि 30/09/2010 के शाम 5.30 बजे तक जमा कर पावती प्राप्त करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो दिनांक 30/09/2010 के शाम 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदन ही विचार में लिए जाएंगे। डाक के विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

(20)–अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :-

20.1 प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें।

20.2 यदि अभ्यर्थी के द्वारा आयोग को भ्रमित करने के उद्देश्य से कोई अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो उसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, आयोग कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

20.3 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिए, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

20.4 आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर किसी प्रकार की लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

20.5 मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं अभ्यर्थी का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(21)–विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

(22)–आयोग द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जानकारी अभ्यर्थियों के हितार्थ समय-समय पर आयोग की वेब-साईट www.psc.cg.gov.in में दी जाती है। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि आयोग की वेब-साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

हस्ता/–

सचिव

छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
खनि निरीक्षक (खनिज साधन विभाग) के पद हेतु
“आवेदन पत्र”

प्रपत्र - एक

विज्ञापन क्रमांक 03/2010/परीक्षा/दिनांक 27/08/2010

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक

पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक
(आयोग द्वारा भरा जाएगा)**महत्वपूर्ण निर्देश :-**

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का भली-भांति सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात् ही आवेदन पत्र भरें।
2. केवल काली स्याही वाले बॉल पेन से भरें।
3. आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन पत्र में समस्त जानकारियां सही भरें, असत्य/गलत जानकारी भरने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
5. छत्तीसगढ़ के अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के वैध जाति प्रमाण पत्र धारक ही कालम नं. 8 आरक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के शेष सभी एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन करें।
6. आवेदन शुल्क-बैंक ड्रॉपट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा क्रं. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर** पर ही देय (Payable) होना चाहिये।
7. अभ्यर्थी बॉक्स में उपयुक्त जानकारी ही भरें।

(1) पद का नाम

खनि निरीक्षक

(2) बैंक ड्रॉपट क्र.

दिनांक

राशि

जारी करने वाले
बैंक का नाम

(3) अभ्यर्थी का नाम:- अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें (सरनेम पहले लिखें) दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें

--	--

(4) पिता/पति का नाम :-

--	--

(5) लिंग :-

पुरुष - M महिला - F

(6) क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं?

हाँ - Y नहीं - N

(7) क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है?

हाँ - Y नहीं - N

(यदि हाँ तो लिफाफे के ऊपर भूतपूर्व सैनिक अंकित करें)

(8) अ. श्रेणी - कोड नं.

अनारक्षित - 1

(8) ब. श्रेणी - कोड नं.

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों एवं आरक्षित वर्गों के लिए)

अ.जा. - 2 अ.ज.जा. - 3 अ.पि.व. - 4

(गैर क्रीमीलेयर)

(9) जन्म तिथि :-

--	--	--	--

दिनांक

माह

वर्ष

नोट :- जो लागू न हो उस में करें।(10) आयु में छूट :- क्या अभ्यर्थी आयु में छूट चाहता है? हाँ - Y

यदि हाँ तो विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट संबंधी कंडिकाओं का सही क्रमांक लिखें एवं इससे संबंधित संलग्न दस्तावेज का क्रमांक दें :-

आयु में छूट संबंधी कण्डिकाओं के क्रमांक (4.1.1 से 4.1.11 में से)

--	--

आयु 01.01.2011 की स्थिति में

वर्ष माह दिन

--	--	--

प्रमाण पत्र क्रमांक (प्रपत्र-2 में भरा गया क्रमांक)

--	--

(11) स्थायी पता :-

पिन:-

--	--	--	--	--	--	--	--

(12) पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान डाक का पता :-

पिन:-

--	--	--	--	--	--	--	--

(13) अ. क्या अभ्यर्थी, भू-विज्ञान विषय लेकर विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में उपाधि धारण करता है? हाँ - Y
नहीं - N

(13) ब. क्या अभ्यर्थी, निर्धारित शारीरिक मापदण्ड (पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं, महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 से.मी. से कम नहीं। सीने का न्यूनतम माप 81 से.मी. (सामान्य स्थिति में) 85 से.मी. (फुलाने पर)) पूरी करता है? हाँ - Y
नहीं - N

(14) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :- (क्रमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी/ग्रेड	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र क्रमांक
1	हाईस्कूल								
2	हायर सेकेण्डरी								
3	भू-विज्ञान विषय लेकर विज्ञान में स्नातक/ माइनिंग इंजीनियरिंग में उपाधि								
4	स्नातकोत्तर								
5	अन्य								

(15) यदि अभ्यर्थी सेवारत हो या सेवारत रहा हो तो पूरा विवरण दें (प्रमाण-पत्र संलग्न करें):-

पद का नाम	कार्यालय/संस्था का नाम	सेवा अवधि			यदि वर्तमान में सेवारत हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है	प्रमाण पत्र क्रमांक
		कब से	कब तक	प्रमाण पत्र क्रमांक		
					हां - Y <input type="checkbox"/> नहीं - N <input type="checkbox"/>	

(16) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आता है एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है तो सक्षम प्राधिकारी (अनुविभाग अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जो आवेदन करने की तिथि में वैध हो, संलग्न करें एवं में प्रमाण पत्र क्रमांक दर्शाएं।

(17) क्या अभ्यर्थी कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया/हटाया गया, किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित है? यदि हां तो विवरण दें। हाँ - Y
नहीं - N

(18) यदि अभ्यर्थी संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें:-

घोषणा

स्वयं के हस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो छिपकायें
4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापन की शर्तों/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी/परीक्षा नियमों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं विज्ञापित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं इत्यादि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाए अथवा अपात्रता का पता चले तो आयोग मेरी उम्मीदवारी उक्त पद पर चयन के किसी भी स्टेज पर निरस्त करते हुए अन्य वैधानिक कार्यवाही कर सकता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हिन्दी

अंग्रेजी

स्थान : (अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा)

दिनांक :

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

इस प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अंकसूची, उपाधि/प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों का विवरण भरा जाना है। जिस क्रम से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं उसी क्रम से उन दस्तावेजों के ऊपर की ओर दाहिने कोने में पृष्ठ क्रमांक अंकित करना है, वही पृष्ठ क्रमांक इस प्रपत्र में भी भरा जाना है।

आवेदित पद का नाम :- खनि निरीक्षक

आयोग का विज्ञापन क्रमांक:- 03/2010/परीक्षा/दिनांक 27/08/2010

प्रमाण पत्र क्र.	संलग्न किए गए अंक सूची, उपाधि, प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेज का पृष्ठ क्रमांक
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		
(11)		
(12)		
(13)		
(14)		
(15)		

नोट :- जितनी संख्या में दस्तावेज संलग्न किए जाए, उसका उपर्युक्त कॉलम में विवरण लिखने के पश्चात् शेष को अभ्यर्थी एक तिरछी लकीर खींचकर क्रॉस कर दें।

.....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का पूरा नाम व पता

.....

परिशिष्ट - एक**खनि निरीक्षण के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम**

- (1) परीक्षा में दो प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा कुल अंक 100 होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि 2 घंटे की होगी।
- (2) प्रथम प्रश्नपत्र "छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य अध्ययन" एवं द्वितीय प्रश्नपत्र "भू-विज्ञान" पर आधारित होगा।

प्रथम-प्रश्नपत्र**"छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य अध्ययन"**

1. भूगोल - छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय - स्थिति तथा विस्तार, धरातल तथा संरचना, प्राकृतिक तथा भौगोलिक प्रक्षेत्र तथा जलवायु।
2. छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन - खनिज सम्पदा एवं खनिज आधारित परियोजनाएँ, वन सम्पदा, वन्यप्राणी, कृषि तथा पशुधन। फसलों का क्षेत्रीय वितरण, जल संसाधन - सिंचाई विकास परियोजना।
3. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा - प्रशासनिक ईकाइयाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायतीराज, नगरीय प्रशासन, राज्य की आर्थिक व्यवस्था।
4. छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय खेल।
5. छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की भाषा/बोली, छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्व।
6. सामान्य विज्ञान।
7. प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनाएँ।
8. विविध।

Paper-I**"Chhattisgarh State Related General Studies"**

1. Geography:- General Introduction of Chhattisgarh-Location, extension & structure, natural and geographical territories and climate.
2. Natural resources of Chhattisgarh:- Mineral resources, and mineral based Projects, forest resources, wild-life, agriculture and animal husbandry, Regional distribution of crops, green revolution, Water resources - Irrigation development project.
3. Administrative Structure of Chhattisgarh:-Administrative units, administrative system, Panchayatiraj, town administration, economic system of the state.
4. Popular sports of Chhattisgarh.
5. History of Chhattisgarh, language/dialect of Chhattisgarh, important political, cultural and social elements of Chhattisgarh.
6. General Science.
7. Contemporary events of Regional, National and International importance.
8. Miscellaneous.

द्वितीय-प्रश्नपत्र**"भू-विज्ञान"**

1. सामान्य भू-विज्ञान:- पृथ्वी की उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना का प्रारंभिक ज्ञान, रेडियो एक्टिव पद्धति से चट्टानों का तिथि निर्धारण, पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी उनके कारण तथा उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्षेत्र, भूकम्प उनके कारण, भू-गर्भीय प्रभाव तथा भूकम्पीय तथा ज्वालामुखी क्षेत्र का संबंध, भू-अभिनति तथा उनके वर्गीकरण, समस्थिति पहाड़ उनके आकार तथा उनकी उत्पत्ति, महाद्विपीय विस्थापना संबंधी संक्षिप्त विचार महाद्विपीय तथा महासागरों की उत्पत्ति।
2. भू-आकृति विज्ञान:- भू-आकृति विशिष्टता, स्थलाकृति, स्थलाकृतिक संरचनाओं तथा आरंभ विज्ञान से उसका संबंध, प्रमुख भू-आकृतियाँ, जल विकास पद्धति, भारतीय उप महाद्वीप का भू-आकृतिक विशेषताएँ।
3. संरचनात्मक भू-विज्ञान:- वलन एवं भ्रंश उनका नामकरण, वर्गीकरण उन्हें पहचानना तथा दृश्यांशों पर उनका प्रभाव, संधि उनका वर्गीकरण तथा महत्व, विषयक विन्यास अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, पुरान्त साथी तथा नवांत साथी, शल्कन तथा संरेखण की परिभाषा तथा वर्गीकरण, नवीन संस्तरों की अभिदिशा सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष तथा अधस्थल कसौटी।
4. स्तरित शैल विज्ञान:- स्तरिकी के सिद्धान्त स्तरिक वर्गीकरण तथा नाम पद्धति, मानक स्तरित माप, भारतीय उपमहाद्वीप के शैल समूहों का विस्तृत अध्ययन, भू-वैज्ञानिक अतीत के दौरान भारतीय उप महाद्वीप में जलवायु तथा अग्रिय कार्यकलापों का संक्षिप्त अध्ययन, पुराभौगोलिक पुनर्निर्माण।
5. खनिज विज्ञान:- क्रिस्टल रसायन के तत्व बंधन के प्रकार, आयनिक रेडों समन्वय संख्या के प्रकार, समाकृति कूटरुपिता, सिलिकेटों संरचनात्मक वर्गीकरण, निम्नलिखित शैल निर्माणकारी खनिजों का भौतिकीय रासायनिक एवं प्रकाशीय गुणों के आधार पर अध्ययन जैसे फेल्सपार, पाइरोक्सीन, एम्पीबोल्स, अम्रक, गार्नेट, ऑलिवीन फेल्सपिथाइड, स्फटिक, केलसाइट, कायनाइट ऐन्डालूसाइट सिलेमेनाइट।
6. शैलीकीय विज्ञान:- मैग्मा, इसका उत्पादन, मैग्मा की प्रकृति तथा संगठन, द्विआंगी तथा त्रिआंगी पद्धतियों के सरल अवस्था आरेख (डायग्राम) तथा उनका महत्व, बावेन की प्रतिक्रिया सिद्धान्त, चुम्बकीय विभेदीकरण, स्वांगीकरण, मैग्मा का गठन और संरचना तथा उनका शैल संबंधी महत्व, आग्नेय, शैलों का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण शैल प्रकारों का शैलीय तथा शैल जनन महत्व। अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया पसघनन तथा अध्यमीभवन, अवसादी शैलों का गठन संरचना तथा उनका महत्व, खण्डजों तथा अखण्डजों अवसादी शैलों का वर्गीकरण।
मूल अध्ययन में भारी खनिज तथा इनका महत्व, सामान्य शैल प्रकारों का शैलीकीय अध्ययन।
कायान्तरण के परिवर्तनशील तत्व, कायान्तरण के प्रकार, कार्यान्तरी श्रेणियाँ, क्षेत्र तथा संलक्षणी, कायान्तरी शैलों की गठन, संरचनाएँ तथा नाम पद्धतियाँ, महत्वपूर्ण शैल प्रकारों की शैलीकीय तथा सैलोत्पत्ति।
7. आर्थिक भू-विज्ञान:- अयस्क की धारणा, अयस्क खनिज तथा गैंग, अयस्कों का औसत प्रतिशत, खनिज निक्षेपों के निर्माण की प्रक्रिया, अयस्क निक्षेपों के सामान्य आकृति तथा संरचनाएँ, अयस्क निक्षेपों का वर्गीकरण, अयस्क निक्षेपण का नियंत्रण, महत्वपूर्ण धात्विक तथा आधात्विक निक्षेपों का अध्ययन, छत्तीसगढ़ एवं भारत की खनिज सम्पदा।
8. पूर्वक्षण एवं अन्वेषण:- पूर्वक्षण तथा अन्वेषण की परिभाषाएँ एवं पद्धति का वर्गीकरण, भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी, भू-रासायनिक, अन्वेषण की प्राथमिक पद्धति। अयस्क के मार्गदर्शक।

9. **थ्योडोलाइट सर्वेक्षण :-** थ्योडोलाइट के प्रकार, वर्णन थ्योडोलाइट के विभिन्न भागों का वर्णन, थ्योडोलाइट से पहुंच एवं पहुंचविहीन स्थल की ऊंचाई एवं दूरी का मापन। थ्योडोलाइट से सतह एवं भूमिगत ट्रेवर्स, खुले एवं बंद ट्रेवर्स की पुष्टि, थ्योडोलाइट सर्वेक्षण में त्रुटि के स्रोत एवं उसके उपाय।
10. **सुदूर संवेदन:-** सुदूर संवेदन की शब्दावली, सुदूर संवेदन आंकड़ों के लाभ एवं हानि, सेटेलाइट आंकड़ों को प्राप्त करने की रीति, सुदूर संवेदन से संबंधित हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर।

Paper-II
"Geology"

- General Geology-** Elementary ideas of origin and interior of the Earth. Dating of rocks by radioactive methods; age of the Earth. Volcanoes - causes and products, volcanic belts, Earthquakes causes, geological effect and distribution, relation to volcanic belts. Geosynclines and their classification. Isostasy. Mountains types and origin, Brief ideas about continental drift. Origin of continents and oceans.
- Geomorphology-** Relief features: topography and its relation to structures and lithology, Major landforms Drainage system. Geomorphic features of Indian subcontinents.
- Structural Geology-** Folds, Faults - their nomenclature, classification recognition and their effect on outcrops. Joints-their classification and importance. Unconformity, overlap, offlap, outliers and inliers. Definition and classification of foliation and lineation. Top and bottom criteria for determining the direction of young formation.
- Stratigraphy-** Principles of Stratigraphy. Stratigraphic Classification and nomenclature. Standard stratigraphical scale. Detailed study of various geological formations of Indian subcontinent. Brief study of climates and igneous activities in India subcontinent during geological past Paleogeographic reconstruction.
- Mineralogy-** Elements of crystal chemistry, types of bounding Ionic radii coordination number. Isomorphism and pseudomorphism. Structural classification of silicates,

study of the following rock forming minerals with respect to the physical chemical and optical properties - feldspars pyroxenes, amphiboles Mica garnets, olivine feldspathids, quartz, calcite kyanite andalusite sillmanite,

6. **Petrology-** Magma. Its generation, nature and composition simple phase diagrams of binary and ternary systems and their significance, Bowen's Reaction Principles, Magnetic differentiation, assimilation, Texture and structure and their petrogenetic significance. Classification of igneous rocks. Petrography and petrogenesis of important rock-types.

Processes of formation of sedimentary rocks. Diagenesis and lithification. Texture and structures and their significance. Classification of sedimentary rocks. elastic and non-elastic Heavy Minerals and their significance in provenance studies Petrography of common rock types.

Variables of metamorphism. Types of metamorphism, metamorphic grades, Zones and facies Textures, structures, and nomenclature of metamorphic rocks. Petrography and petrogenesis of important rock types.

7. **Economic geology-** Concept of ore, ore mineral gangue tenor of ores, processes of formation of mineral deposits common forms and structures of ore deposits, Classification of ore deposits, Controls of ore deposition, Study of important metallic and non metallic deposits, Mineral wealth of Chhattisgarh and India.
8. **Prospecting and Exploration:-** Prospecting and Exploration Their definitions and Classification of Methods; Elementary Methods of Geological, Geophysical, Geochemical Prospecting; Guides To Ores.
9. **Theodolite Surveying:-** Types of theodolites; Description of various parts of theodolite; Theodolites; Measurements of height and distance of accessible and inaccessible points; Traversing with. Theodolite on surface and underground; Checks on Closed and Open traverses; Sources of errors and their prevention in survey.
10. **Remote Sensing:-** Terminology in Remote Sensing Advantage and Disadvantages of Remote Sensing Data, Procedure for Obtaining Satellite Data. Hardwares and Software related to Remote Sensing.
